संख्या:128 भू0व्य0/18(1)/2005

प्रेषक,

[illegible],
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग देहरादून: दिनांक 6 जनवरी, 2006

विषय: मैसर्स [illegible] प्रा0 लि0 को फार्मास्युटिकल उद्योग की स्थापना हेतु तहसील रुड़की के ग्राम सिकन्दरपुर जमालपुर मु0 में कुल 1.2503 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 253/भूमि व्यवस्था-भूमि क्रय दिनांक [illegible]-12-2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मैसर्स [illegible] प्रा0 लि0 को फार्मास्युटिकल उद्योग की स्थापना हेतु उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम,1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(v) के अन्तर्गत तहसील रुड़की के ग्राम सिकन्दरपुर जमालपुर मु0 में कुल 1.2503 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबंधों के साथ प्रदान करते हैं:-

1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर [illegible] के अधीन राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही अन्तरण करने के लिये अर्ह होगा।

2- [illegible] वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या [illegible] कर सकेगा तथा धारा-122 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले [illegible] को भी प्राप्त कर सकेगा।

3- क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना [illegible] के विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद [illegible] के अन्दर जिसकी [illegible] कारणों से जिन्हें लिखित रूप में [illegible] उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की

गई हो। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4— जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5— जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6— आवेदक स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तरांचल के लोगों को 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन उपलब्ध करायेगा।

7— उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त करदी जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन०एस०नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1— मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3— सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन।
4— श्री सुरेश वाधवा, निदेशक, मै० आयाटो फार्मा एण्ड बायोटेक लि० रजि० कार्यालय-सोनिका टॉवर्स, मार्केटयार्ड रोड, गुलटेकडी, पुणे, महाराष्ट्र।
5— निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तरांचल सचिवालय।
6— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव